संख्या: 96/2026/359पू0वि0नि0/35-1-2026-1792716

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
कुशीनगर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 मई, 2026

विषय:- पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद कुशीनगर की 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 91/2026/268पू0वि0नि0/35-1-2026-1792716, दिनांक 27.03.2026 एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर के पत्रांक 379/पू0वि0नि0/2025-26, दिनांक 31.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.03.2026 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजना "नेबुआ कप्तानगंज के पचफेड़ा से पिपरावर सिवान प्रा०वि० तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगली किश्त के रूप स्तम्भ-11 में अंकित रू० 57.28 लाख(रूपये सत्तावन लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं, जबकि विषयगत प्रकरण के संबंध में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर के संदर्भित पत्र दिनांक 31.03.2026 द्वारा दी गयी आख्यानुसार ग्रिड रिपोर्ट बिलम्ब से प्राप्त होने एवं संबंधित शासनादेश अप्राप्त होन के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकने के दृष्टिगत उक्त धनराशि को समर्पण के रूप में स्वीकार किये जाने का शासन से अनुरोध किया गया है।

3. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश संख्या: 91/2026/268पू0वि0नि0/35-1-2026-1792716, दिनांक 27.03.2026 द्वारा जनपद कुशीनगर की उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त कुल रू० 57.28 लाख (रूपये सत्तावन लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की अवशेष धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। तद्नुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2026 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2026-27 पढा जायेगा।

4. उपरोक्त के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को आहरित किये जाने में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति न होने पाए।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 27.03.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8. जिलाधिकारी,कुशीनगर।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कुशीनगर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कुशीनगर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।